अध्याय - 4

आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना

- आपदाजोखिम न्यूनीकरणकातात्पर्य
- राष्ट्रिय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणद्वारा जारी सुझाव/निर्देश/गाइड लाइन का ज़िले में प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु स्थायी कार्यालीन व्यवस्था
- विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु अपेक्षित कार्यों से एकीकरण
- ज़िला प्रशासन, केंद्र शासन के विभागतथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना
- ज़िला प्रशासन के नियंत्राधीन समस्त अस्पतालों का आपदा प्रबंधन योजना एवं Mass Casualty Management योजना
- जिला प्रशासन के नियंत्राधिन समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित अन्य कार्य
- आपदा प्रभावित गांवों एवं शहरी वार्डो का आपदा प्रबंधन योजना
- जिले के भगदड़ संभावित क्षेत्रों में दुर्घटनाओं का जोखिम न्यूनीकरण
- जिलेके15 मी. से ऊंचे समस्त भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर,स्टेडियम
- ...ेम

सैन्डाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतुवर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु 04 विशिष्ट प्राथमिकताऐं तय की गई हैं:-

- *आपदा जोखिम के बारे में समझदारी विकसित करना*
- *आपदा जोखिम प्रबधन हेतु प्रशासकीय तंत्र का की क्षमतावृद्धि*
- *आपदाजोखिम न्यूनीकरण हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रो में निवेश*
- *प्रभावीआपदा प्रतिक्रिया, पुनःस्थापन,पुनर्निर्माण हेतु पूर्व तैयारी कार्यों को बढावा देना ।*

4.1: आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य:- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (V) तथा धारा 32 (क) (I) में अधिकथित प्रावधानों अनुसार, जिले में विद्यमान खतरों तथा संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु योजनबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितग्राहियों द्वारा कार्य किया जाएगा। योजना मे

आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन कार्यो का तात्पर्य, अध्याय 2 में चिन्हित खतरो को गैर संरचनात्मक तथा संरचनात्मक उपायों द्वारा समाप्त करना अथवा उनके प्रभाव को न्यून करना है।

- **संरचनात्मक उपायों** के अंतर्गत जिले के संभावित आपदाओं को न्यून अथवा समाप्त करने हेतु लघु तथा दीर्घ अवधि की संरचना निर्माण से संबन्धित विकास परियोजनाओं को संचालित कर संभावित आपदा से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को कम करने की योजना तथा वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को जिले में संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन की दृष्टी से अनुकूल बनाया जाना शामिल है। संरचनात्मक कार्यों की दीर्घ अवधि योजना का विवरण अध्याय-8 में प्रस्तावित किया गया है।

- **गैर संरचनात्मक उपायों** के अंतर्गत आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय प्रबंधन आपदा राज्य/ उठाना कदम आवश्यक हेतु करने लागू पर स्तर समुदाय को निर्णयों नीतिगत अधिकथित द्वारा प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन से संबन्धित समस्त नियमों आवश्यक हेतु करने पालन से कड़ाई का कोड सुरक्षा / करना स्थापित विधि अनुश्रवण, विभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना,आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न शासकीय एवं गैर शासकीय अमले एवं संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से क्षमता वृद्धि एवं प्रचार प्रसार एवं अन्य साधनों से जनजागृति शामिल है। जिले के चिन्हित आपदा जोखिम के न्यूनीकरण हेतु निम्नांकित गैर -: जाएंगे किए उपाय संरचनात्मक-

4.1.1 : राष्ट्रिय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुझाव/निर्देश/गाइड लाइन का जिले में प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु स्थायी कार्यालीन व्यवस्था:- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005के प्रावधानों तथा राष्ट्रिय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा समय - समय पर जारी किए गए सुझावों तथा गाइड लाइन पर कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना अनुमोदन के एक माह के अंतर्गत जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यालीन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

4.1.2: विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु अपेक्षित कार्यों से एकीकरण:- जिला प्रशासन के समस्त विभाग अपने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का अध्याय 2 में वर्णित जिले के आपदा जोखिम के परिप्रेक्ष्य में पुर्नवलोकन कर इन योजनाओं के माध्यम से जिला आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रस्ताव जिला प्राधिकरण को जिला आपदा प्रबंधन योजना अनुमोदन के तीन माह में प्रस्तुत करेंगे।

- जिला प्राधिकरण द्वारा गठित जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति द्वारा उपरोक्त योजनाओं का **अध्याय 2** में चिन्हित खतरो का परिप्रेक्ष्य में जिला का संभावित आपदाओ का जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका को चिन्हित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों की **प्राथमिकता तथा समय सीमा** तय की जाएगी।
- इनयोजनाओंकेआपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एकीकरण के लिए लगातार मोनिट्रिंग एवं विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम प्राधिकरण जिला अंतर्गत के प्रावधानों के 2005 द्वारा एक **विशेषज्ञ समिति** गठित की जाएगी ।

- जिला प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति के सुझाव अनुसार इन संचालित परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा। **खंड। में** जिले में संचालित ऐसे महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओ/कार्यों का विवरण दिया गया है, जिनके माध्यम से आपदा संवेदनशील क्षेत्रो के जोखिम का न्यूनीकरण किया जा सकेगा ।

4.1.3: जिला प्रशासन, केंद्र शासन क विभाग तथा स्थानीय निकायो का विभागीय आपदा प्रबधन योजना (DEPARTMENTAL DISASTER MANAGEMENT PLAN):-आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVII) तथा धारा 32 के अंतर्गत जिले के सभी शासकीय विभाग, जिला स्थित केंद्र शासन के विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिक्रिया योजना सहित विभागीय आपदा प्रबंधन योजना जिला आपदा प्रबंधन योजना अनुमोदन के आगामी तीन माह में तैयार कर लिया जाएगा। अधिनियम अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी:-

- जिला आपदा प्रबंधन योजना में प्रस्तावित आपदा निरोधी एवं शमन उपायों, क्षमतावृद्धि एवं पूर्व तैयारी कार्यों को विभागीय स्तर पर पूर्ण करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान तथा कार्य योजना ।
- विभाग के कार्यक्षेत्र से संबन्धित जिले में आकस्मिक स्थितियों का विवरण
- आकस्मिक स्थिति प्रतिक्रिया योजना
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग के पास उपलब्ध मानव संसाधन, उपकरण एवं अधोसंरचना का विवरण
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा मैदानी स्तर पर गठित टीमों का विवरण एवं संपर्क न .
- आकस्मिक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभाग के क्रमचरियों प्रशिक्षण वितप्रस्ता हेतु अधिकारियों / जानकारी की कार्यक्रम
- विभाग के कंट्रोल रूम की जानकारी
- अन्य विभागों योजना की समन्वय हेतु कार्यों प्रबंधन आपदा से आदि संस्थाओं/
- विभाग से संबन्धित आपदा प्रबंधन कार्यों के दौरान प्रतिक्रीया हेतु मानक संचालन प्रक्रिया
- विभाग के अधिकारियोंचारियों की ज़िम्मेदारीकर्म/
    - ✓ संचार योजना
    - ✓ संसाधनों के उपयोग की योजना
    - ✓ आकस्मिक स्थिति में संसाधनों के क्रय की प्रक्रिया
    - ✓ आकस्मिक स्थिति हेतु आवश्यक निधि
    - ✓ आकस्मिक स्थिति में अन्य आवश्यक कार्य

आपदा प्रबंधन कार्यो हेतु **विभाग के नामित अधिकारी (अध्याय- 5, तालिका 5.4 एवं 5.5)**विभागीय योजना को अध्यतन रखने तथा जिला प्राधिकरण को अध्यतन स्थिति में प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगे।

4.1.4: जिला प्रशासन के नियंत्राधीन समस्त अस्पतालों का आपदा प्रबंधन योजना एवं Mass Casualty Management योजना :-NDMA द्वारा जारी Guidelines on Management of Hospital Safety 2016 तथा Guideline for Mass Casualty Management में सुझावित प्रारूप अनुसार जिला प्रशासन के नियंत्रण मे कार्यरत समस्त अस्पतालों द्वारा अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना एवं Mass Casualty Management योजना जिला आपदा प्रबंधन योजना अनुमोदन के 06 माह मे तैयार कर लिया जाएगा तथा निर्धारित सुरक्षा उपायों को जिले के समस्त अस्पतालों में लागू करने हेतु मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिया जाएगा।

मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने नियंत्रण मे कार्यरत शासकीय एवं गैर शासकीय अस्पतालो के आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन रखने तथा योजना अनुसार पूर्व तैयारी, शमन एवं राहत बचाव से संबन्धित कार्यवाहिया सुनिश्चित की जायेगी एवं जिला प्राधिकरण को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाएगा ।

4.1.5: जिला प्रशासन के नियंत्राधिन समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित अन्य कार्य: NDMA द्वारा जारी School Safety Policy 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार जिला प्रशासन के नियंत्रण मे कार्यरत समस्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना आगामी 06 माह के दौरान तैयार कर लिया जायेगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों को जिले के समस्त विद्यालयों में लागू करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की जिले के समस्त विद्यालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना को निश्चित समय अवधि में अद्यतन किया जा रहा है तथा योजना अनुसार जन जागृति, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अन्य संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तथा **School Safety Policy 2016** अनुसार जिले में की गई अपेक्षित कार्यवाहियों के प्रगति की अद्यतन जानकारी से जिला प्राधिकरण को अवगत कराएंगे।

4.1.6: आपदा प्रभावित गांवों एवं शहरी वार्डों का आपदा प्रबंधन योजना: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय निकाय द्वारा क्रमश: समस्त आपदा प्रभावित गांवों तथा शहरी वार्डों का आपदा प्रबंधन योजना खंड । में दिये गए प्रारूप अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना अनुमोदन के आगामी तीन माह के दौरान तय्यार कर ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन समिति को प्रस्तुत कर दिया जाएगा । ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन समिति इन योजनाओं को अद्यतन रखने तथा जिला प्राधिकरण को अद्यतन स्थिति से अवगत करने हेतु जिम्मेदार होगी ।

4.1.7: जिले के भगदड़ संभावित क्षेत्रों में दुर्घटनाओं का जोखिम न्यूनीकरण : अध्याय 2 (2.4 - भगदड़ दुर्घटना जनित खतरे) में चिन्हित भगद□ संभावित क्षेत्रो मे खतरनाक संरचनाओ, मार्गों, अग्नि संभावित क्षेत्रों आदि का चिन्हांकन एवं परिक्षण उपरांत स्थानीय प्रशासन द्वारा NDMA के गाइ□लाइन **"Concise Framework for "Preparation of Management Plan for Events / Venues of Mass Gathering" तथा "Managing Crowds at Events and Venues of Mass Gathering -2014**" अनुसार आपदा प्रबंधन योजना बनाया जाकर इसे, ब्लाक आपदा प्रबंधन समिति से अनुमोदित कराया जाएगा । ब्लाक आपदा प्रबंधन समिति ऐसी समस्त योजनाओ को अद्यतन स्थिति मे रखने तथा योजना अनुसार पूर्व तैयारी, शमन, राहत एवं बचाव कार्यो को योजना अनुसार सम्पन्न करने हेतु जिम्मेदार होगी। जिले के प्रत्येक ब्लाक आपदा प्रबंधन समितियों द्वारा ऐसी समस्त स्थानीय योजनाओ की अद्यतन स्थिति से जिला प्राधिकरण को वार्षिक आधार पर अवगत कराया जाएगा ।

4.1.8: जिले के 15 मी. से ऊंचे समस्त भवनों, मॉल, सिनेम□हा□ल, थियेटर, स्टेडियम आदि क□फ□यर एक्ज़िट एवं इवेकुएशन योजन□(Fire Exit and Evacuation Plan) : National Building code of India (Fire & Light Safety)मे दिये गए प्रावधानों के अंतर्गत जिले के समस्त 15 मीटर से ऊंचे भवनो का फायर एक्ज़िट एवं इवेकुएशन प्लान बनाया जाना तथा इस योजना अनुसार निश्चित समयावधि मे पूर्व तैयारी एवं समय-समय पर माक ड्रिल का कराया जाना सुनिश्चित करना, नगर पालिका/नगर निगम की जिम्मेदारी होगी। नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी द्वारा जिले के ऐसे समस्त भवनों का **Fire Exit and Evacuation Plan**तीन माह के दौरान बनाया जाना सुनिश्चित किया जाकर, जिला प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

4.1.9: औद्योगिक/ रसायनिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण: जिले में औद्योगिक एवं रसायनिक आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे: -

I. पर्यावरण संरक्षण □धिनियम 1986 एवं कारख़ाना □धिनियम 1948 के प्रावधानों के □ंतर्गत खतरनाक तथा □ति खतरनाक श्रेणी उद्योगों में उल्लेखित सुरक्षा प्रावधानों के पालन की सुनिश्चितता:-
NDMA द्वारा जारी Guidelines on Chemical Disaster (Industrial) अनुसार जिले में स्थित समस्त

खतरनाक एवं अति खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में निम्नांकित सुरक्षा प्रावधानों के पालन से **संबन्धित वार्षिक रिपोर्ट, जिला औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी** द्वारा जिला प्राधिकरण को प्रदान किया जाएगा:-

- जिले के समस्त खतरनाक एवं अति खतरनाक श्रेणी उद्योगों के **वार्षिक थर्ड पार्टी सेफ़्टी ऑडिट** रिपोर्ट की स्थिति।
- जिले के समस्त खतरनाक एवं अति खतरनाक श्रेणी उद्योगों के **ऑन साइट इमरजेंसी प्लान** की अद्यतन स्थिति ।
- जिले के समस्त खतरनाक एवं अति खतरनाक श्रेणी उद्योगों में आयोजित किए गए **मौकड्रिल** की अद्यतन स्थिति एवं मौक ड्रिल में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु किए गए उपाय ।
- उपरोक्त के अतिरिक्त जिले के समस्त खतरनाक एवं अति खतरनाक श्रेणी उद्योगों में एनडीएमए गाइडलाइन तथा अन्य संबन्धित अधिनियमों नियमों द्वारा अधिकथित/**सुरक्षा उपायों की अद्यतन स्थिति**।
- **ERDMP एक्ट 2006** अनुसार जिले के समस्त पैट्रोलियम भंडारण उद्योगों के इमरजेंसी रिसपोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान)**Emergency Response and Disaster Management Plan)**तैयार करने एवं योजना में प्रावधानित पूर्व तैयारी, शमन तथा जोखिम न्यूनीकरण से संबन्धित कार्यों पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।
- **जिले की ऑफ :साइट इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान–जिला औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा धिकारी** द्वारा इस योजना को निश्चित समय अवधि में अपडेट किया जाएगा तथा सभी अति खतरनाक श्रेणी के उद्योगों के जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट से जिला प्राधिकरण को अवगत कराया जाएगा। प्लान अनुसार उद्योगों द्वारा जोखिम न्यूनीकरण से संबन्धित किए गए कार्यों से जिला प्राधिकरण को अवगत कराया जाएगा ।